

**कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।**

**—: कार्यालय आदेश :—**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(क) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)**

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम                       | वर्तमान तैनाती स्थान                         | नवीन तैनाती का स्थान                       | अभ्युक्ति |
|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                                              | 3                                            | 4                                          | 5         |
| 1        | श्री गिरीश चन्द्र कापडी, पशुधन प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र, बाजपुरगांव जनपद-ऊधमसिंहनगर | पशु सेवा केन्द्र, सातसिलिंग जनपद-पिथौरागढ़ | जनहित     |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 904 /स्था०-01/वा०स्था०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बाजपुर-ऊ०सिंहनगर।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, मूनाकोट-पिथौरागढ़।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

**कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।**

**—: कार्यालय आदेश :-**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17

(1)(क) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)**

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम                     | वर्तमान तैनाती स्थान                               | नवीन तैनाती का स्थान                          | अभ्युक्ति |
|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                                            | 3                                                  | 4                                             | 5         |
| 1        | श्रीमती सविता सैनी,<br>पशुधन प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र,<br>मैनाझुण्डी<br>जनपद-ऊधमसिंहनगर | पशु सेवा केन्द्र,<br>मौनपोखरी<br>जनपद-चम्पावत | जनहित     |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-  
(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 905 /स्था०-01/वा०स्था०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025  
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशुचिकित्सालय, सितारगंज-ऊ०सिंहनगर।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, चम्पावत।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर/चम्पावत।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/चम्पावत।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।



**कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।**

**—: कार्यालय आदेश :—**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17

(1)(क) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)**

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम                  | वर्तमान तैनाती स्थान                        | नवीन तैनाती का स्थान                        | अभ्युक्ति |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                                         | 3                                           | 4                                           | 5         |
| 1        | श्री संजय कुमार,<br>पशुधन प्रसार अधिकारी, | "द" श्रेणी पशु औषधालय<br>गुलरभोज-ऊधमसिंहनगर | पशु सेवा केन्द्र, गौडीहाट<br>जनपद-पिथौरागढ़ | जनहित     |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 906 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशुचिकित्सालय, आदर्शनगर-ऊ०सिंहनगर।
- 3- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, झूलाघाट-पिथौरागढ़।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

**कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।**

**—: कार्यालय आदेश :—**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17

(1)(क) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)**

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम                    | वर्तमान तैनाती स्थान                      | नवीन तैनाती का स्थान                    | अभ्युक्ति |
|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                                           | 3                                         | 4                                       | 5         |
| 1        | श्री राजेन्द्र कुमार, पशुधन प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र, कालीनगर जनपद-ऊधमसिंहनगर | पशु सेवा केन्द्र, डालकन्या जनपद-नैनीताल | जनहित     |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-  
(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 907 /स्था०-01/वा०स्था०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, दिनेशपुर-ऊ०सिंहनगर।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशुचिकित्सालय, ओखलकाण्डा-नैनीताल।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर/नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/नैनीताल।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।



**कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।**

**—: कार्यालय आदेश :—**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(क) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)**

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम         | वर्तमान तैनाती स्थान                     | नवीन तैनाती का स्थान                 | अभ्युक्ति |
|----------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                                | 3                                        | 4                                    | 5         |
| 1        | श्री शेखर, पशुधन प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र, लालपुर जनपद-ऊधमसिंहनगर | पशु सेवा केन्द्र, चौमेल जनपद-चम्पावत | जनहित     |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह० / -

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 908 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025  
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-  
1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।  
2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, करनपुर-ऊ०सिंहनगर।  
3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बाराकोट-चम्पावत।  
4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर/चम्पावत।  
5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/चम्पावत।  
6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

**कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।**

**—: कार्यालय आदेश :—**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(क) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)**

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम                     | वर्तमान तैनाती स्थान                        | नवीन तैनाती का स्थान                     | अभ्युक्ति |
|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                                            | 3                                           | 4                                        | 5         |
| 1        | श्री जोगेन्द्र प्रसाद, पशुधन प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र, सन्तोषपुर जनपद-ऊधमसिंहनगर | पशु सेवा केन्द्र, भतरौंजखान जनपद-अल्मोडा | जनहित     |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 909 /स्था०-01/वा०स्था०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025  
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बाजपुर-ऊ०सिंहनगर।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, भिकियासैण-अल्मोडा।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर/अल्मोडा।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/अल्मोडा।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01





**कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।**

**—: कार्यालय आदेश :-**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(क) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)**

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम                      | वर्तमान तैनाती स्थान                          | नवीन तैनाती का स्थान                         | अभ्युक्ति |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                                             | 3                                             | 4                                            | 5         |
| 1        | श्रीमती अंजना कोहली,<br>पशुधन प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र,<br>पातलीबगड<br>जनपद-अल्मोडा | पशु सेवा केन्द्र,<br>ममडछीना<br>जनपद-अल्मोडा | जनहित     |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 910 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025  
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-  
1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।  
2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, हवालबाग-अल्मोडा।  
3- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोडा।  
4- मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोडा।  
5- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

**कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।**

**-: कार्यालय आदेश :-**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(क) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)**

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम                            | वर्तमान तैनाती स्थान                         | नवीन तैनाती का स्थान                     | अभ्युक्ति |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                                                   | 3                                            | 4                                        | 5         |
| 1        | श्रीमती सुनीता महेश कुमार,<br>पशुधन प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र, जाफरपुर<br>जनपद-ऊधमसिंहनगर | पशु सेवा केन्द्र, सिनौडा<br>जनपद-अल्मोडा | जनहित     |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-  
(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 911 /स्था०-01/वा०स्था०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025  
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बासोट-अल्मोडा।
- 3- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, दिनेशपुर-ऊधमसिंहनगर।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर/अल्मोडा।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/अल्मोडा।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।



**कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।**

**—: कार्यालय आदेश :—**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण**

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम                 | वर्तमान तैनाती स्थान                    | नवीन तैनाती का स्थान                | अभ्युक्ति            |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                        | 3                                       | 4                                   | 5                    |
| 1        | श्री गंगा सिंह,<br>पशुधन प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र, बिण<br>जनपद-पिथौरागढ़ | कृ०गर्भा० केन्द्र, सदर<br>पिथौरागढ़ | अनुरोध के<br>आधार पर |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-  
(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 912 /स्था०-01/वा०स्था०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025  
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, पिथौरागढ़।
- 3- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

**कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।**

**—: कार्यालय आदेश :—**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण**

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम                        | वर्तमान तैनाती स्थान                     | नवीन तैनाती का स्थान                  | अभ्युक्ति         |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1        | 2                                               | 3                                        | 4                                     | 5                 |
| 1        | श्रीमती मीनाक्षी तिवाड़ी, पशुधन प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र, च्यूरीगाड जनपद-नैनीताल | पशु सेवा केन्द्र, बबियाड जनपद-नैनीताल | अनुरोध के आधार पर |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-  
(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 913 /स्था०-01/वा०स्था०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025  
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, धारी-नैनीताल।
- 3- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।



कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम                     | वर्तमान तैनाती स्थान                            | नवीन तैनाती का स्थान                   | अभ्युक्ति            |
|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                            | 3                                               | 4                                      | 5                    |
| 1        | श्री लीलाधर पाण्डे,<br>पशुधन प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र,<br>कमेडीदेवी<br>जनपद-बागेश्वर | पशु सेवा केन्द्र, बगड़<br>जनपद-नैनीताल | अनुरोध के<br>आधार पर |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)

अपर निदेशक।

पत्रांक 914 /स्था०-01/वा०स्था०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, काण्डा-बागेश्वर।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, कोटाबाग-नैनीताल।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)

अपर निदेशक।

**कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।**

**—: कार्यालय आदेश :—**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ग) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा-17 (1)(ग)-अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)**

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम                       | वर्तमान तैनाती स्थान                   | नवीन तैनाती का स्थान                | अभ्युक्ति |
|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                                              | 3                                      | 4                                   | 5         |
| 1        | डा० तेजेन्द्र सिंह राणा, पशुधन प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र, होराली जनपद-बागेश्वर | पशु सेवा केन्द्र, कफडा जनपद-अल्मोडा | जनहित     |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 915 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, स्यांकोट-बागेश्वर।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, द्वाराहाट-अल्मोडा।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर/अल्मोडा।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, बागेश्वर/अल्मोडा।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।



**कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।**

**—: कार्यालय आदेश :—**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ग) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा-17 (1)(ग)-अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)**

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम                 | वर्तमान तैनाती स्थान                 | नवीन तैनाती का स्थान                     | अभ्युक्ति |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                                        | 3                                    | 4                                        | 5         |
| 1        | श्री हिमांशु जोशी, पशुधन प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र, चौमेल जनपद-चम्पावत | पशु सेवा केन्द्र, लालपुर जनपद-ऊधमसिंहनगर | जनहित     |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-  
(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 916 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025  
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, करनपुर-ऊधमसिंहनगर।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बाराकोट-चम्पावत।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चम्पावत/ऊधमसिंहनगर।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, चम्पावत/ऊधमसिंहनगर।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

**कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।**

**—: कार्यालय आदेश :—**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ग) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा-17 (1)(ग)-अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)**

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम                        | वर्तमान तैनाती स्थान                            | नवीन तैनाती का स्थान                      | अभ्युक्ति |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                                               | 3                                               | 4                                         | 5         |
| 1        | श्री भास्करानन्द जोशी,<br>पशुधन प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र,<br>खर्कटम्टा<br>जनपद-बागेश्वर | पशु सेवा केन्द्र, भटखोला<br>जनपद-बागेश्वर | जनहित     |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-  
(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 917 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बोहला-बागेश्वर।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बागेश्वर।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर।
- 5- वरिष्ठ कौषाधिकारी, बागेश्वर।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।



**कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।**

**—: कार्यालय आदेश :—**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ग) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा-17 (1)(ग)-अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)**

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम                   | वर्तमान तैनाती स्थान                   | नवीन तैनाती का स्थान                              | अभ्युक्ति |
|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                                          | 3                                      | 4                                                 | 5         |
| 1        | श्री दीपू नैनवाल,<br>पशुधन प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र, डौला<br>जनपद-नैनीताल | पशु सेवा केन्द्र,<br>सन्तोषपुर<br>जनपद-ऊधमसिंहनगर | जनहित     |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 918 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, कोटाबाग-नैनीताल।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बाजपुर-ऊ०सिंहनगर।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंहनगर।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंहनगर।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

**कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।**

**—: कार्यालय आदेश :—**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ग) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा-17 (1)(ग)-अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)**

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम                  | वर्तमान तैनाती स्थान                        | नवीन तैनाती का स्थान                         | अभ्युक्ति |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                                         | 3                                           | 4                                            | 5         |
| 1        | श्री अंशु कुमार,<br>पशुधन प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र,<br>सिनौडा<br>जनपद-अल्मोडा | पशु सेवा केन्द्र, जाफरपुर<br>जनपद-ऊधमसिंहनगर | जनहित     |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-  
(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 919 /स्था०-01/वा०स्था०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025  
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-  
1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।  
2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बासोट-अल्मोडा।  
3- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, दिनेशपुर-ऊधमसिंहनगर।  
4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोडा/ऊधमसिंहनगर।  
5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, अल्मोडा/ऊधमसिंहनगर।  
6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।



**कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।**

**—: कार्यालय आदेश :—**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ग) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा-17 (1)(ग)-अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)**

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम                 | वर्तमान तैनाती स्थान                     | नवीन तैनाती का स्थान                            | अभ्युक्ति |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                                        | 3                                        | 4                                               | 5         |
| 1        | श्री हरीश सिंह,<br>पशुधन प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र, भेंटा<br>जनपद-बागेश्वर | पशु सेवा केन्द्र,<br>कमेडीदेवी<br>जनपद-बागेश्वर | जनहित     |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)

अपर निदेशक।

पत्रांक 920 /स्था०-01/वा०स्था०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, काण्डा-बागेश्वर।
- 3- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

**कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।**

**—: कार्यालय आदेश :-**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-18 (3) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारियों का पारस्परिक स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा-18 (3)-पारस्परिक स्थानान्तरण**

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम                          | वर्तमान तैनाती स्थान                   | नवीन तैनाती का स्थान                   | अभ्युक्ति             |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                 | 3                                      | 4                                      | 5                     |
| 1        | श्री भुवन चन्द्र जोशी, पशुधन प्रसार अधिकारी,      | पशु सेवा केन्द्र, गुरना जनपद-पिथौरागढ़ | पशु सेवा केन्द्र, गणकोट जनपद-पिथौरागढ़ | पारस्परिक स्थानान्तरण |
| 2        | श्रीमती हेमा जोशी, पशुधन प्रसार अधिकारी,          | पशु सेवा केन्द्र, गणकोट जनपद-पिथौरागढ़ | पशु सेवा केन्द्र, गुरना जनपद-पिथौरागढ़ |                       |
| 3        | श्री कैलाश चन्द्र काण्डपाल, पशुधन प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र, खेरदा जनपद-नैनीताल   | पशु सेवा केन्द्र, कफूडा जनपद-नैनीताल   | पारस्परिक स्थानान्तरण |
| 4        | श्रीमती ललिता काण्डपाल, पशुधन प्रसार अधिकारी,     | पशु सेवा केन्द्र, कफूडा जनपद-नैनीताल   | पशु सेवा केन्द्र, खेरदा जनपद-नैनीताल   |                       |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. पारस्परिक आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)

अपर निदेशक।

पत्रांक ७२१ /स्था०-०१/वा०पा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025  
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिकों को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय, जाख-पिथौरागढ़।
- 3- पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय, दियासी-नैनीताल।
- 4- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय, सदर पिथौरागढ़।
- 5- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
- 6- सम्बन्धित कोषाधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
- 7- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)

अपर निदेशक।



**कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।**

**—: कार्यालय आदेश :—**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-7 (घ)(दो) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा-7 (घ)(दो) के अनुसार (सुगम से सुगम)**

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम                        | वर्तमान तैनाती स्थान                             | नवीन तैनाती का स्थान                         | अभ्युक्ति |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                                               | 3                                                | 4                                            | 5         |
| 1        | श्री प्रकाश सिंह बोरा,<br>पशुधन प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र,<br>सांगुडीगांव<br>जनपद-नैनीताल | पशु सेवा केन्द्र,<br>देवलचौड<br>जनपद-नैनीताल | जनहित     |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 922 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, हल्द्वानी-नैनीताल।
- 3- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

**कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।**

**—: कार्यालय आदेश :—**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-7 (घ)(दो) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा-7 (घ)(दो) के अनुसार (सुगम से सुगम)**

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम                        | वर्तमान तैनाती स्थान                              | नवीन तैनाती का स्थान                            | अभ्युक्ति |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                                               | 3                                                 | 4                                               | 5         |
| 1        | श्री धर्मेन्द्र वर्मा,<br>पशुधन प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र,<br>तिलियापुर<br>जनपद-ऊधमसिंहनगर | पशु सेवा केन्द्र,<br>कालीनगर<br>जनपद-ऊधमसिंहनगर | जनहित     |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-  
(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 923 /स्था०-01/वा०स्था०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025  
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, शक्तिफार्म-ऊधमसिंहनगर।
- 3- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, दिनेशपुर-ऊधमसिंहनगर।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।



**कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।**

**—: कार्यालय आदेश :—**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-7 (घ)(दो) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा-7 (घ)(दो) के अनुसार (सुगम से सुगम)**

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम                    | वर्तमान तैनाती स्थान                         | नवीन तैनाती का स्थान                       | अभ्युक्ति |
|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                                           | 3                                            | 4                                          | 5         |
| 1        | श्री फयाज अली अंसारी, पशुधन प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र, अशोक फार्म जनपद-ऊधमसिंहनगर | पशु सेवा केन्द्र, कंचनपुरी जनपद-ऊधमसिंहनगर | जनहित     |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-  
(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 924 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025  
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशुचिकित्सालय, खटीमा-ऊधमसिंहनगर।
- 3- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

**कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।**

**—: कार्यालय आदेश :—**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-7 (घ)(दो) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा-7 (घ)(दो) के अनुसार (सुगम से सुगम)**

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम                  | वर्तमान तैनाती स्थान                             | नवीन तैनाती का स्थान                              | अभ्युक्ति |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                                         | 3                                                | 4                                                 | 5         |
| 1        | श्री विजय कुमार,<br>पशुधन प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र,<br>गोकुलनगर<br>जनपद-ऊधमसिंहनगर | पशु सेवा केन्द्र,<br>तिलियापुर<br>जनपद-ऊधमसिंहनगर | जनहित     |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)

अपर निदेशक।

पत्रांक 925/स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, शान्तिपुरी-ऊधमसिंहनगर।
- 3- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, शक्तिफार्म-ऊधमसिंहनगर।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।



कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-7 (घ)(दो) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-7 (घ)(दो) के अनुसार (सुगम से सुगम)

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम                       | वर्तमान तैनाती स्थान                         | नवीन तैनाती का स्थान                             | अभ्युक्ति |
|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                                              | 3                                            | 4                                                | 5         |
| 1        | श्री विनीत दुर्गापाल,<br>पशुधन प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र,<br>देवलचौड<br>जनपद-नैनीताल | पशु सेवा केन्द्र,<br>सांगुडीगांव<br>जनपद-नैनीताल | जनहित     |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-  
(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 925 /स्था०-01/वा०स्था०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, हल्द्वानी-नैनीताल।
- 3- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

**कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।**

**—: कार्यालय आदेश :-**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(क) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित क्षेत्र प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)**

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम                       | वर्तमान तैनाती स्थान                    | नवीन तैनाती का स्थान                    | अभ्युक्ति |
|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                                              | 3                                       | 4                                       | 5         |
| 1        | श्री नवीन चन्द्र चौधरी क्षेत्र प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र, कालीखोली जनपद-अल्मोडा | पशु सेवा केन्द्र, तुराचौरा जनपद-अल्मोडा | जनहित     |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 927 /स्था०-01/वा०स्था०-क्षे०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, द्वाराहाट-अल्मोडा।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, स्याल्दे-अल्मोडा।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोडा।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोडा।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।



**कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।**

**—: कार्यालय आदेश :—**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-18 (3) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित क्षेत्र प्रसार अधिकारियों का पारस्परिक स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

**धारा-18 (3)-पारस्परिक स्थानान्तरण**

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम                 | वर्तमान तैनाती स्थान                   | नवीन तैनाती का स्थान                   | अभ्युक्ति             |
|----------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                        | 3                                      | 4                                      | 5                     |
| 1        | श्री दीन प्रकाश, क्षेत्र प्रसार अधिकारी, | पशु सेवा केन्द्र, सीर जनपद-बागेश्वर    | पशु सेवा केन्द्र, बमराडी जनपद-बागेश्वर | पारस्परिक स्थानान्तरण |
| 2        | श्री अनवर अहमद, क्षेत्र प्रसार अधिकारी,  | पशु सेवा केन्द्र, बमराडी जनपद-बागेश्वर | पशु सेवा केन्द्र, सीर जनपद-बागेश्वर    |                       |

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. पारस्परिक आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 928 /स्था०-01/वा०पा०स्था०-क्ष०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025  
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिकों को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय, गरूड/बागेश्वर।
- 3- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।